9/24 पत्रावली अवलोकन करने से स्पष्ट है कि
आवेदक भूमि के खातेदार होने से
नहीं पाये जाने पर प्रकरण वर्तमान
खातेदार के गैर खातेदार आबादी
गैर खातेदार होने व वास्तविक कब्जा
वाहिती से गैर खातेदार होने व किसी
खातेदार किसान पंचों के बयान लिए जाने
पश्चात नियम अनुसार निर्णय पारित
किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)